बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–................................../पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/सीपेट की योजना/05/2018

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2018–19 योजनान्तर्गत सीपेट, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में 100 छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु रु0 5,72,48,300.00 (पाँच करोड़ बहत्तर लाख अड़तालीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेश:– स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–1769, दिनांक 23.10.2018 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 योजनान्तर्गत सीपेट, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में 100 छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु रु0 5,72,48,300.00 (पाँच करोड़ बहत्तर लाख अड़तालीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. सीपेट, हाजीपुर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायतशासीत संस्थान है। इस संस्थान के द्वारा विभिन्न दीर्घकालीन/अंशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त Skill Development, Placement Linked अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है जिसका लाभ बिहार के युवक/युवतियों को प्राप्त हो रहा हैं। इससे राज्य के युवक/युवतियों को रोजगार/स्वरोजगार में सहायता प्राप्त होती है।

3. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0150– सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना, विपत्र कोड–23–2852801020150, विषय शीर्ष–0150. 31.05 सहायक अनुदान–परिसंपतियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि रु0 1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये) एवं

(II) मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रखरखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–23–2852801020163, विषय शीर्ष–0163.27.01 लघु कार्य मद में उपबंधित राशि रु0 49.57 करोड़ (उनचास करोड़ सनतावन लाख रुपये) में से रु0 4,72,48,300.00 (चार करोड़ बहत्तर लाख अड़तालीस हजार तीन सौ रुपये) विकलित होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त करेगें तथा निकासी की गई राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी वित्त विभाग के

पत्रांक–8244, दिनांक 02.08.10 एवं 500 दिनांक 18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

6. इस योजना के नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. स्वीकृत राशि की निकासी BTC form-42 से की जायेगी।

8. स्वीकृत राशि विभागीय योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

9. इस योजना के लेखा–जोखा का पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राज्यादेश में संचिका संख्या–4तक0/सीपेट की योजना/05/2018 के पृ0–251/प0 पर दिनांक 04.12.18 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की सहमति प्राप्त है।

11. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनश्चित किया जाएगा।

12. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–....................../पटना, दिनांक–...............

सं0सं0– 4तक0/सीपेट की योजना/05/2018

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–....................../पटना, दिनांक–...............

सं0सं0– 4तक0/सीपेट की योजना/05/2018

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–......................../पटना, दिनांक–................
सं0सं0– 4तक0/सीपेट की योजना/05/2018
प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/निदेशक एवं प्रमुख, सीपेट, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2151......../पटना, दिनांक–14.12.18
सं0सं0– 4तक0/सीपेट की योजना/05/2018
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

14/12

17